(ङ) प्रश्न नहीं उठता । भुज में एक सैन्य अस्पताल पहले ही विद्यमान है ।

सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविल लोग

2373. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविलियन भी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैनिक अस्पताल की सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैन्य क्षेत्र से आने वाले अपने अन्य सहयोगियों की तरह आवास सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हां ।

(ख) सैन्य अस्पताल सेवा विशेष रूप से सैन्य कार्मिकों के लिए उनकी सेवा संबंधी आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अथवा जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं है वहां पर प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेन्ट्स द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । तथापि, कुछ आपातकालिक मामलों में सिविलियनों को भी मिलिट्री अस्पताल में गैर-हकदार व्यक्तियों के रूप में भरती किया जाता है जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होता है ।

(ग) सैन्य आवश्यकता/परिस्थितियों की वजह से मिलिट्री स्टेशनों पर सैन्य कार्मिकों के वास्ते परिवार आवास/एकल आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन जो कि महत्वपूर्ण कार्मिक होते हैं उनके लिए भी सभी स्टेशनों पर शत-प्रतिशत परिवार आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के अन्य सिविलियनों के वास्ते आवास की व्यवस्था रक्षा सेवाओं में सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवासों के पूल में से की जाती है । इसके अतिरिक्त परिवार आवास के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सरकारी आदेशों के अनुसार, सिविलियन कार्मिक मकान किराया भत्ता लेने के भी हकदार होते हैं ।

भारतीय इंजीनियरी सेवाओं में पदोन्नति संबंधी मानदण्ड

2374. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी सेवा में आने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और उन्हें विभागों का आवंटन उनके योग्यता-क्रम (मैरिट) के अनुसार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैन्य इंजीनियरी सेवा में पदोन्नति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जबकि रेल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा डाक एवं तार विभाग जैसे विभागों में पहली पदोन्नति 8–9 वर्षों में और दूसरी पदोन्नति 13–14 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवाओं में भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और उसके क्या आधार हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी०एन० सोमू) : (क) संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रम, उनकी प्राथमिकताओं उनकी श्रेणी और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त

पाए जाने के आधार पर विभागों का आवंटन किया जाता है ।

(ख) और (ग) : अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की संख्या सहित विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है और एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना नहीं की जा सकती है ।

Modifications in Defence pay package

2375. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister during his visit to Jammu and Kashmir assured the Defence personnel that modifications in the pay package would be made;

(b) the nature of modifications proposed;

(c) the manner in which the new system is likely to be implemented; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) to (d) The Prime Minister was referring to the Pay Commission's recommendations, and he reiterated that Government's commitment to ensure that the Jawans and their families live in reasonable comfort and lead a life of dignity. The Prime Minister referred to the improvements effected in the salary and emoluments of the Jawans as well as in pension payments. He did not promise any further improvements.

Black-listing of Mishra Dhatu Nigam Ltd.

2376. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether CIA has black-listed Mishra Dhatu Nigam Ltd., for being a threat to human race; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) and (b) Media reports have appeared that Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) is a company to which sale of American dual-use technology carries the threat of potential military application. Midhani has not been notified by the US administration for applicability of enhanced export control restrictions.

Recruitment in the Armed Forces

2377. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recruitment in the Indian Army is made on the basis of recruitable male population of a State;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the present recruitable male population of Maharashtra and what is the actual intake from the State at present;

(d) whether any recruitment was made from Vidarbha region of the State during the last three years; and

(e) if so, the details thereof, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) to (e) Recruitment in the Indian Army is made on the basis of the Recruitable Male Population (RMP) of a State/Union Territory. The RMP refers to those male population of the country in the age range of 16-25 years who satisfy the laid down qualitative requirements i.e. education, physical and medical standards. The national RMP is reckoned at 10 per cent of the total male population. The total annual vacancies are distributed to all the States/Union Territories as per